

उत्तराखण्ड शासन तकनीकी शिक्षा विभाग

संख्या : 555 /XLI-A/2020-41/2014

देहरादून : दिनांक : 31 जुलाई 2020

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

"उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020" है
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

"उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009" (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्म–1 विद्यमान नियम

2.

3(झ): "सेवा" से उत्तराखण्ड़ प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा अभिप्रेत है, जिसके अर्न्तगत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजकीय पॉलीटेक्निक बालक और बालिका दोनों के समस्त समूह 'क' एवं समूह 'ख' के राजपत्रित पद अभिप्रेत है:

स्तम्म-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 3(ज्ञ): "सेवा" से उत्तराखण्ड़ प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित सेवा संवर्गों के समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित हैं:-
 - (i) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड;
- (ii) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद;
- (iii) संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ;
- (iv) राजकीय पॉलीटेक्निक;

नियम 5 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्-

स्तम्म–1 विद्यमान नियम

5— सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट के कॉलम-05 में प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित स्रोतों से की जाएगीः

परन्तु यदि पदोन्नित के लिए उपयुक्त और पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम्

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी, अर्थात—

1— निदेशक—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निदेशक से, जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 01 (एक) वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यदि पात्र अपर निदेशक

a

Ohr

उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक/सचिव/परीक्षा नियंत्रक में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम 04 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो;

परन्तु यह और कि यदि पात्र संयुक्त निदेशक/सचिव/परीक्षा नियंत्रक भी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप में नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्य, में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,

2— अपर निदेशक—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक / सचिव/परीक्षा नियंत्रक में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यदि पात्र संयुक्त निदेशक/सचिव/परीक्षा नियंत्रक उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्य, में से जिन्होंने सेवा के संवर्ग में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

3— संयुक्त निदेशक/सचिव/परीक्षा नियंत्रक—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 07 (सात) वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

4- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक-

- (1) 25 (पच्चीस) प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;
- (2) 75 (पिछत्तर) प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता (अभियंत्रण एवं प्राविधिक शाखाएं फोरमैन आटो/अभियंत्रणेत्तर /कर्मशाला अधीक्षक/मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से

पदोन्नति द्वारा :

परन्तु, प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त कार्मिकों के स्थायीकरण हेतु चार सप्ताह का अनिवार्य विभागीय प्रशिक्षण वित्तीय प्रबन्धन, स्टोर रूल्स, कार्मिक प्रबन्धन सम्बन्धी विषयों का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जायेगा।

5-विभागाध्यक्ष

(अभियंत्रण / अभियंत्रणेत्तर / फार्मेसी / मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस)— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सम्बन्धित संकाय के प्रवक्ताओं / कर्मशाला अधीक्षकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 (पॉच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करे हुए, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि संकाय विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नित की पात्रता हेतु सम्बन्धित संकाय प्रवक्ता / कर्मशाला अधीक्षक को विभागीय, लिखित परीक्षा (50 प्रतिशत आधुनिक सम्बन्धित विषय एवं 50 प्रतिशत वित्तीय प्रबन्धन, भण्डार प्रबन्धन, स्थापना, प्रशासनिक, सूचना का अधिकार एवं अन्य व्यवहारिक ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न) उर्त्तीण करनी अनिवार्य होगी।

(मैकेनिकल इंजी. / इलैक्ट्रिकल ६—प्रवक्ता. इंजीनियरिंग / सिविल इंजी. / इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियंत्रण इंजीनियरिंग / इंस्ट्रमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग / सूचना इंजीनियरिंग साइंस एण्ड /कम्प्यूटर / पी0जी0डी0सी0ए0 / मैकेनिकल(आटोमोबाईल इंजीनियरिंग) / कैमिकल इंजीनियरिंग / कैमिकल (रबर एवं प्लास्टिक) / इंटीरियर टैक्नोलाजी डिजाईन एण्ड डेकोरेशन/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग / माईनिंग इंजीनियरिंग /माईन सर्वे / भूगर्भ / फार्मेसी / भौतिकी / रसायन / गणित / अंग्रेजी/भाषा /माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेटियल प्रैक्टिस)

Ohn

- (1) 75 (पिछत्तर) प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:
- (2) 25 (पच्चीस) प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त संबंधित शाखा के ऐसे सहायक प्रवक्ताओं / डिप्लोमाधारी कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु, यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त और पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो उक्त पदों को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

7- कर्मशाला अधीक्षक-

- (1) 50 (पचास) प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (2) 50 (पचास) प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कर्मशाला अनुदेशकों मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीकल (प्रोडक्शन / ऑटोमोबाइल) / इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग / कला अनुदेशकों (मैकेनिकल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 15 (पन्द्रह) वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्टता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 6 का संशोधन 4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

6— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

6-उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग, उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक, रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य

Om

के अनुसार किया जायेगा।

श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम ८ का संशोधन

1

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात-

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

8— सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट के कॉलम—06 में दी गयी अर्हताएं हों।

स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

8— सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार होगी—

1- प्रधानाचार्य-:

(i) पी०एच०डी० तथा अभियंत्रण एवं प्राविधिक के प्रासंगिक विषय क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 16 वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के पश्चात का हो तथा विभागाध्यक्ष से अन्यून स्तर का 5 वर्ष का अनुभव।

अथवा

शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 20 वर्ष के अनुभव के साथ, प्रासंगिक विषय क्षेत्र में रनातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी , जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के स्तर से अन्यून स्तर का हो।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

2- प्रवक्ता

- (क) प्रवक्ता (अभियंत्रण / प्राविधिकी / फार्मेसी)
 - (एक) प्रवक्ता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग
 - (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग / मैकेनिकल और रोबोटिक्स / ऑटोमेशन इंजीनियरिंग / मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजी० / मैकेनिकल इंजीनियरिंग

(उत्पादन) / उत्पादन इंजीनियरिंग / ऑटोमशन इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रिपेयर एवं मेन्टीनैन्स) / टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई० / बी०टेक० / बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

दिप्पणीः (केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।)

(दो) प्रवक्ता, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग –

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग /इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक्स इंजी०/ इलैक्ट्रिकल एण्ड पावर इंजीनियरिंग इंजी० / इलैक्ट्रिकल इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोल / इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इंजीनियरिंग / पावर इंजी० में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई० /बी०टेक० बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।

Pm -

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(तीन) प्रवक्ता, सिविल इंजीनियरिंग –

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान सिविल इंजीनियरिंग / सिविल एण्ड इन्वायरमैन्टल इंजीनियरिंग / सिविल एण्ड रूरल इंजीनियरिंग / सिविल एण्ड वाटर मैनेजमैंट इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग / एण्ड सिविल एण्ड इन्फ्रास्ट्रकचर इंजीनियरिंग / सिविल इंजीनियरिंग इनवायरमैंट एण्ड पॉल्यूशन कन्ट्रोल / सिविल टैक्नोलॉजी /बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन टैक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई० / बी०टेक० / बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो



निम्नलिखित अहंता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी०) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणी: केवल सरकारी /सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों /सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तमी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली

(चार) प्रवक्ता, इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियंत्रण—

게건 इलैक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार /एडवांस इन्स्ट्रुमेन्टेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी / इलैक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग संचार इंजीनियरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स 'इलैक्ट्रॉनिक्स संचार टेलीमेटिक्स / इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स बायोमेडिकल टैक्नोलॉजी, टैक्नोलॉजी इजीनियरिंग विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग ट्रिक और इलैक्ट्रॉनिक्स सिस्टम Sol हिं मान्यता पावर इंजीनियरिंग ४ सिस्टम/ / इलैक्ट्रॉनिक्स इलैक्ट्रॉनिक्स ए 'इलैक्ट्रॉनिक्स हिं इंजीनियरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इजीनियरिंग इंजीनियरिंग डिजाइन कंट्रोल साइस संस्थान संवार संचार

इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी0) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

दिष्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तमी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(पांच) प्रवक्ता, इंस्टूमेंटेंशन एण्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग –

इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग 게데 टैक्नोलॉजी इन्स्टूमेटेंशन और ऑटोमेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय / इजीनियरिंग संस्थान से इन्स्टूमेटेंशन 新 मान्यता / इन्स्ट्रूमेटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्टूमेटेशन / इन्स्टूमेटेशन / इलैक्ट्रिकल <u>ड</u>ुन्दूमेटेशन कंट्रोल कंट्रोल (i)



इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रिकल और इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग /पावर इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग / इलैक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रूमेंटेशन एण्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई० / बी०टेक० / बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में रनातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी0) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा - शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(छः) प्रवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी.-

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान प्रौद्योगिकी / सूचना सूचना प्रौद्योगिकी एण्ड इंजीनियरिंग इनफोरमेशन साइंस एण्ड इंजीनियरिंग / इनफोरमेशन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी / इनफोरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी / इनफोरमेशन इंजीनियरिंग में प्रथम के साथ बी०ई० / बी०टेक० / बी०एस० अथवा

समकक्ष उपाधि।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी0) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों /सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(सात) प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग /पी०जी०डी०सी०ए०

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता भी प्राप्त विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान से कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग /कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी /कम्प्यूटर सांइस एण्ड सिस्टम इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन/क म्प्यूटर सांइस में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई० / बी०टेक० / बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।
 ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो

Du -

निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(आठ) प्रवक्ता, मैकेनिकल (आटोमोबाईल इंजीनियरिंग)—

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटो०)/मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग /ऑटोमोबाइल मैन्टीनैन्स इंजीनियरिंग /ऑटोमोटिव टेक्नोलाजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी०) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और

Om

उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(नौ) प्रवक्ता, कैमिकल इंजीनियरिंग -

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित भी मान्यता विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान से कैमिकल इंजीनियरिंग / कैमिकल टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई० / बी०टेक० / बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में रनातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(दस) प्रवक्ता, कैमिकल टैक्नोलाजी (रबर एवं प्लास्टिक)—

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान से कैमिकल इंजीनियरिंग (रबर एवं प्लास्टिक) / कैमिकल इंजीनियरिंग (प्लास्टिक एण्ड पॉलीमर) / कैमिकल टेक्नोलॉजी (रबर एवं प्लास्टिक) / प्लास्टिक एण्ड पॉलीमर

Pm.

इंजीनियरिंग / प्लास्टिक इंजी०/ प्लास्टिक टैक्नोलॉजी/रबर टैक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/ बी०टेक०/ बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

िप्पणीः केवल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों /सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(ग्यारह) प्रवक्ता, इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन–

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंजीनियरिंग संस्थान से आकिटेक्चर/आकिटेक्चर एण्ड इन्टीरियर डेकोरेशन में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

्रें ऐसे अम्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट्र (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन



इंजी०) परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(बारह) प्रवक्ता, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग -

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंजीनियरिंग संस्थान से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग /एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी में बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(तेरह) प्रवक्ता, माइनिंग इंजीनियरिंग –

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंजीनियरिंग संस्थान से माईनिंग एण्ड सर्वे इंजीनियरिंग /सर्वे इंजीनियरिंग में

Au

नी०ई०/नी०टेक०/नी०एस० प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में रनातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी0) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

8 /सावेजनिक जाएगा और केवल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त जायेगी जब ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त संगठनों स् भ अनुभव ही स्वीकार किया या लिमिटेड सस्थानो उसकी गणना तभी कर ली हो। शैक्षणिक उपकर्मों अभ्यर्थी टियमी

(चौदह) प्रवक्ता, माईन सर्वे –

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ इंजीनियरिंग संस्थान से माईनिंग एण्ड सर्वे इंजीनियरिंग / सर्वे इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/ बी०टेक०/ बी०एस० अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अम्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी0) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मी या लिमिटेड संगठनों का

3

अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(पन्द्रह) प्रवक्ता, भूगर्भ -

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंजीनियरिंग अथवा तकनीकी संस्थान से भूगर्भ/भूगर्भीय टेक्नोलॉजी/ अनुप्रयुक्त भूगर्भ में प्रथम श्रेणी के साथ रनातकोत्तर अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजी0)/नैट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण)।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों /सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(सोलह) प्रवक्ता, फार्मेसी—

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / फार्मेंसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी—फार्मा अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हुता धारण करता हो,

Dur

- (1) संबंधित विषय में रनातकोत्तर उपाधि।
- (2) जीपैट (ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीटयूड टेस्ट) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) एक वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(ख) प्रवक्ता (अभियंत्रणेत्तर)-

(एक) प्रवक्ता, भौतिकी:--

- (i) भौतिकी विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष उपाधि।
- (ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि।
- (2) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) उत्तीर्ण।
- (3) कम्प्यूटर सम्बंधी ज्ञान।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(दो) प्रवक्ता, रसायन—

(i) रसायन विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष उपाधि।

Om

(ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि।
- (2) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) उत्तीर्ण।
- (3) कम्प्यूटर सम्बंधी ज्ञान।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(तीन) प्रवक्ता, गणित-

- (i) गणित विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।
- (ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान।
 ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो
 निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो.
 - (1) संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि।
 - (2) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) उत्तीर्ण।
 - (3) कम्प्यूटर सम्बंधी ज्ञान।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(चार) प्रवक्ता, अंग्रेजी-

- (i) अंग्रेजी विषय में निष्णात डिग्री के साथ रनातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

an

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि।
- (2) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) उत्तीर्ण।
- (3) कम्प्यूटर सम्बंधी ज्ञान।

टिप्पणी: केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(पांच) प्रवक्ता, भाषा–

- (i) अंग्रेजी विषय में निष्णात डिग्री के साथ रनातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।
- (ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अम्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि।
- (2) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) उत्तीर्ण।
- (3) कम्प्यूटर सम्बंधी ज्ञान।

िष्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

(छः) प्रवक्ता, मार्डनं आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस

(एम0ओ0एम0 एण्ड एस0पी0)

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ बीठकॉम०/बीठए० गणित विषय सहित /बीठएसठसी०।



- (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टैनोग्राफी एण्ड सैक्रेट्रियल प्रैक्टिस / एम0ओ०एम० एण्ड ए स०पी० में न्यूनतम ०२ वर्ष की अवधि का प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा।
- (iii) स्टैनोग्राफी एण्ड सैक्रेट्रियल प्रैक्टिस /एम०ओ०एम० एण्ड एस०पी० के क्षेत्र में 03 (तीन) वर्ष का व्यवसायिक या शैक्षिक अनुभव।
- (iv) हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,
 - (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम०एस०सी० / एम०ए० (गणित) / एम०कॉम० / एम०बी०ए०।
 - (2) कम्प्यूटर सम्बंधी ज्ञान।

टिप्पणीः केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक उपकर्मों या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा।

(ग) कर्मशाला अधीक्षक-

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित भी मान्यता विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग संस्थान मैकेनिकल इंजीनियरिंग / मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग / मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग / इंडस्ट्रियल उत्पादन इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग (उत्पादन) / उत्पादन /ऑटोमशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रिपेयर इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग मेन्टीनैन्स) / टूल बी0ई0 / बी0टेक0 / बी0एस0 समक्क्ष उपाधि।

अधवा

मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा एवं इसके साथ कुल 10 (दस) वर्ष का उत्पादन/अनुरक्षण में औद्योगिक अनुभव या शैक्षिक अनुभव।

(ii) हिन्दी का ज्ञान।

ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो,

- (1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (2) गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (3) केवल सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों / विश्वविद्यालय / इंजीनियरिंग कालेज, सार्वजनिक उपकर्मी या लिमिटेड संगठनों का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो।

नियम 9 का संशोधन 6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

9— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने—

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

9— संबंधित पदों हेतु नियम—8 के अधीन 'शैक्षिक अर्हता' के उपरान्त 'वरीयता' को उनके क्रमानुसार संज्ञान में लिया जाएगा एवं 'वरीयता' के भी समान

In

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। होने पर ऐसे अभ्यर्थी को क्रमानुसार सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने—

- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या**
- (दो) राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.) का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

नियम 10 का संशोधन 7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

10— सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को अभ्यर्थी की आयु परिशिष्ट के कॉलम—07 में प्रत्येक पद के सामने दी गयी आयु हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10— सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष पद विज्ञप्त किये जांय, की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जायः

परन्तु यह और कि आयु के सम्बन्ध में व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्रख्यापित नियमों के अनुसार तद्नुसार स्वतः परिवर्तित मानी जायेगीः

परन्तु यह और भी कि श्रेणी—3 प्रधानाचार्य के पदों हेतु पूर्व से ही प्राविधानित न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष मानी जायेगी।

नियम 13 का संशोधन 8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

13— किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

13— किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह

am

और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे आर्युविज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, परन्तु पदोन्नित द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिमरूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय—तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु यह कि पदोन्नित द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगाः

परन्तु, यह और कि दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन 9. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

15— (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन किये जाने के लिये विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र मंगाये जायेंगे। आवेदन प्रपत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

- (2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को, जितने वह पर्याप्त समझे और जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।
- (3) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता—क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। केवल साक्षात्कार के माध्यम से किए जाने वाले चयन में, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें, तो—

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 15— (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र मंगायेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- (2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (3) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण करने के पश्चात् नियम—6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा

(क) आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा; यदि आयु भी बराबर हो तो—

(ख) उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वरिष्ठता क्रम में रखे जाएंगे।

सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित कर देगा।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।
(4) आयोग, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है, यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी। टिप्पणी:— प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यकम और नियम आयोग द्वारा समय—समय पर विहित किये जायेंगे।

नियम 20 का संशोधन 10. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्-

स्तम्म–1 विद्यमान नियम

20— (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्त में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर रखा जयेगा।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर पदोन्नित द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नित की गयी थी। (4) भिन्न—भिन्न संवर्गों के ऐसे व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता जिसमें से सभी किसी उच्चतर

स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 20— (1) सेवा के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा—अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा—अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा—अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या संतोष प्रदान करने में पद पर पदोन्नित के लिये पात्र हैं, मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस कम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी।

अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

- (4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

नियम 21 का संशोधन 11. मूल नियमावली में नियम 21 निम्नवत रख दिया जाएगा ,अर्थात्-

21—स्थायीकरणः किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा—अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा—अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि—

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

नियम 22 का संशोधन 12. मूल नियमावली में नियम 22 निम्नवत रख दिया जाएगा ,अर्थात्— 22—ज्येष्ठताः सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता का निर्धारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

नियम 23 का संशोधन 13. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम 23 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा ,अर्थात्-

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

स्तम्म–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

23(2)— इस नियमावली के प्रारम्भ होने के 23(2)— इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं। वेतनमान परिशिष्ट—क में दिये गये हैं।

परिशिष्ट का 14. मूल नियमावली में परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट 'क' प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

(ओम प्रकाश) अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-क

क.	पदनाम (सृजित पदों की संख्या)	वेतनमान	कुल
सं.			सृजित पद
1	निदेशक (01)	वेतन बैंड-4, मैट्रिक्स लेवल-14	01
2	अपर निदेशक (01)	वेतन बैंड—4, मैट्रिक्स लेवल—13क	01
3	संयुक्त निदेशक (02)/सचिव, उ.प्रा.शि.प.रूडकी (01)/परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प., रूडकी (01) टिप्पणी:— संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय/सचिव/परीक्षा नियंत्रक, उ०प्रा०शि०प० के पदों पर पदोन्नत अधिकारियों की सेवाएं परस्पर स्थानान्तरणीय होगी। सचिव व परीक्षा नियन्त्रक के पद समान वेतन बैंड एवं मैदिक्स लेवल के हैं, परन्तु सचिव का पद नियन्त्रक अधिकारी का होने के कारण इस पद पर वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जायेगी।	वेतन बैंड—4, मैट्रिक्स लेवल—13	04
4	संयुक्त सचिव, आई०आर०डी०टी० देहरादून*(०1) / उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर* (०३) / प्रधानाचार्य (७७)	वेतन बैंड—3, मैट्रिक्स लेवल—12	81
5	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प.रूडकी** (01)/उप सचिव, आई०आर०डी०टी० देहरादून** (01)/विभागाध्यक्ष, अभियंत्रण (171)/फार्मेसी (13)/बेसिक साइंस एण्ड ह्यूमिनिटीज (अभियंत्रणेत्तर) (73)/एम०ओ०एम० एण्ड एस०पी० (11)	वेतन बैंड—3, मैट्रिक्स लेवल—11	270
6	सहायक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर*** (02)/सहायक सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूडकी*** (01)/सहायक सचिव, आई.आर.डी.टी., देहरादून*** (01)/प्रवक्ता, (मैकेनिकल इंजी. (71)/इलैक्ट्रिकल इंजी. (89)/सिविल इंजी.(132)/इलैक्ट्रानिक्स इंजी/इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार अभियंत्रण इंजी.(94)/इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल इंजी. (03)/सूचना प्रौद्योगिकी इंजी.(51)/कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी/पीठजीठडीठसीठए०(82)/मैकेनिकल(आटोमोबाईल इंजी.) (06) /कैमिकल इंजी.(06)/कैमिकल टैक्नोलाजी (रबर एवं प्लास्टिक) (03)/इंटीरियर डिजाईन एण्ड डेकोरेशन (03)/एग्रीकल्चर इंजी.(03)/माईनिंग इंजी.(00)/माईन सर्व (00)/भूगर्म(00)/फार्मेसी(61)/भौतिकी(78)/रसायन(78) /गणित(78)/अंग्रेजी(76)/भाषा (02)/माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटियल प्रैक्टिस) (34)	वेतन बैंड-3, मैट्रिक्स लेवल-10	954
7	कर्मशाला अधीक्षक	वेतन बैंड—3, मैट्रिक्स लेवल—10	29
		कुल योग:	1340

*प्रधानाचार्य संवर्ग से तैनाती। **विभागाध्यक्ष संवर्ग से तैनाती। ***प्रवक्ता संवर्ग से तैनाती।

आज्ञा से, (ओम प्रकाश) अपर मुख्य सचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. / Dated 2020 for general information.

in a

Government of Uttarakhand

Technical Education Department

No. \$555/XLI-A/202041/2014

Dehradun: Dated: 31 July, 2020

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Technical Education Gazetted Officers Service Rules, 2009;

The Uttarakhand Technical Education Gazetted Officers Service (Amendment) Rules, 2020

Short title and 1. commencement

- (1) These rules may be called the Uttarakhand Technical Education Gazteeted Officers Service (Amendment) Rules, 2020.
- (2) It shall come into force at once.

Amendment of 2. rule 3

In the Uttarakhand Technical Education Gazetted Officer Service Rules, 2009 (hereinafter referred to as the Principal rules), for the existing clause (i) of rule 3, as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

3(1). Service" means the Uttarakhand Technical Education Gazetted Officer services which cover all the group A &B Gazatted posts in the Directorate of Technical Education Government Polytechnics, both boys and girls.

Column 2

Rules here by substituted

- **3(1).** "Service" means the Uttarakhand Technical Education Gazetted Officer services which includes the group A & B posts of following service cadres-
- (i) Directorate of Technical Education Board;
- (ii) Uttarakhand Technical Education Board;
- (iii) Joint Entrance Examination and Training Research Development Board;

Vm

(iv) Government Polytechnics.

Amendment of 3. rule 5

In the Principal rules, for the existing rule 5, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1

Existing rule

5. Recruitment to the various categories of posts in the services of posts in the service shall be made from the sources mentioned against each category in column 5 of Appendix;

Provided that if suitable and eligible candidates are not available for promotion the posts may be filled by direct recruitment through the Commission.

Column 2

Rules here by substituted

- 5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources, namely:-
- 1- Director: By promotion, on the basis of merit, amongst from the substantively appointed such Additional Director who have completed atleast one year of service as such, on the first day of the year of recruitment:

Provided that, if no eligible Additional Director are available then amongst from the substantively appointed such Joint Director/ Secretary/ Controller of Examination who have completed atleast four years of service as such:

Provided further that if also the eligible Joint Director/ Secretary/ Controller of examination are not available, then amongst from the substantively appointed such Principals who have completed atleast 14 years of service as such.

2- Additional Director: By promotion, on the basis of merit, amongst from the substantively appointed such Joint Director/ Secretary/ Controller of Examination, who have completed atleast three years of service as such, on the first day of the year of recruitment:

Provided that, if no eligible Joint Director/ Secretary/ Controller of Examination are available, then amongst from the substantively appointed such

(V

4.

principals, who have completed twelve years of service in the cadre of service.

3- Joint Director/ Secretary/ Controller of Examination: By promotion through the selection committee on the basis of merit, amongst from the substantively appointed such Principals, Government Polytechnic, who have completed at lest seven years of service as such, on the first day of the year of recruitment.

4- Principal, Government Polytechnic:

- (1) Twenty five percent, by direct recruitment through Commission;
- (2) Seventy five percent, by promotion through the Commission on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit amongst from the substantively appointed such Lecturer (Engineering and Technical Branch Foreman Auto/ Non-engineering/ Workshop Superintendent/ Modern Office Management and Secretarial Practice) who have completed atleast fifteen years of service as such, on the first day of the year of recruitment:

that, for the Provided purpose confirmation of personnel to the post of Principal, four weeks compulsory financial departmental training in management, store rules, personnel management related subjects shall be taken consideration by the Appointing into Authority.

5- Head of Department (Engineering/ Nonengineering/ Pharmacy/ Modern Office Management and Secretarial Practice): By promotion, through the departmental promotion committee on the basis of

mr.

seniority, subject to the rejection of unfit amongst from substantively appointed such Lecturers of concerned faculty/ workshop Superintendent who have completed atleast five years of service as such, on the first day of the year of recruitment:

Provided that, for the eligibility of promotion to the post of Head of Department, faculty, the concerned faculty Lecturer/ Workshop Superintendent shall have to qualify the written departmental examination written (fifty percent modern related subject and fifty percent question related to financial management, establishment, administration, right to information and other practical knowledge).

- Lecturer (Mechanical Engineering/ Electrical Engineering/ Civil Engineering/ Electronics Engineering / Electronics and Communication Engineering/ Instrumentation and control Engineering/ Information **Technical** Engineering Computer Science and Engineering/ PGDCA/ Mechanical (Automobile Chemical Engineering/ Engineering)/ Chemical Technology (rubber and plastic)/ Interior Design and Decoration/ Agricultural Engineering/ Mine engineering/ Mining Survey/ Geology/ Pharmacy/ Physics/ Chemistry / Maths/ English/ Language/ Modern officer Management and Secretarial Practice)
- (1) Seventy five percent, by direct recruitment through commission;
- (2) Twenty five percent, by promotion, through the commission, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, amongst from such Assistant Lecturers of

Our

concerned branch and diploma holders of Computer Programer-Cum-Operator who have completed atleast fifteen years of service as such, on the first day of the year of recruitment:

Provided that if no suitable and eligible candidate is available for promotion, then the above said posts may be filled by direct recruitment, through Commission.

7- Workshop Superintendent:

- (1) Fifty percent by direct recruitment through Commission;
- (2) Fifty percent, by promotion, through commission, on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit amongst from the workshop instructors, Mechanical Engineer (production/ Automobiles)/ Electrical Engineer/ Electronics Engineer/ Electronics and Communication Engineer/ Arts instructors (Mechanical Engineering/ production) who have completed atleast fifteen years of service as such, on the first day of the year of recruitment.

Amendment of 4. rule 6

In the Principal rules for the existing rule 6, as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

0

Column 1 Existing rule

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Column 2 Rules here by substituted

Reservation for the candidates 6. belonging Scheduled to the Casts. Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Economical Weaker Section of Uttarakhand and Other Categories, shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Our -

Amendment of 5. rule 8

In the Principal rules, for the existing rule 8, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the qualification as specified in column 6 of the Appendix.

Column 2

Rules here by substituted

8. The educational qualification for direct recruitment on various posts in the service shall be as follows-

1- Principal:

(i) PhD and Graduate in the relevant subject of Engineering and Technical field or first division at master level with minimum 16 years of experience in education/ research/ industries of which atleast three years experience must be after PhD and atleast five years of experience not less than the level of Head of department.

Or

Graduate or Post Graduate with first division in relevant subject with minimum twenty years of experience in education/ research/ industry of which atleast five years of experience not less than the level of head of department.

(ii) Knowledge of Hindi.

2- Lecturer:

(I) Lecturer (Engineering/ Technology/ Pharmacy):

(i) Lecturer, Mechanical Engineering:

BE/ BTech/ BS or equivalent degree with in Mechanical Engineering/ first class Mechanical and Robotics / Automation Mechatronics Engineering/ Engineering/ Engineering/ Industrial and Production Mechanical Engineering (Production)/ Engineering/ Automation Production 3

dun -

Engineering/ Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)/ Tool Engineering, from a recognized University / Engineering Institution established by law in India.

(ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(II) Lecturer, Electrical Engineering:

- (i) B.E./ B. Tech /BS or equivalent degree with first class in Electrical Engineering/ Electrical and Electronic Engineering/ Electrical and Power Engineering/ Electrical Engineering Industrial Control / Electrical, Electronics and Power Engineering/ Power Engineering from a recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

man -

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(III) Lecturer, Civil Engineering:

- (i) BE/ B Tech/ BS or equivalent degree with first class in Civil Engineering/ Civil and Environmental Engineering/ Civil and Rural Engineering/ Civil and Water Management Engineering/ Civil Engineering and Planning / Civil and Infrastructure Engineering/ Civil Engineering Environment and Pollution Control/ Civil Technology/ Building and Construction Technology from a recognized university/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations

Om-

shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(IV) Lecturer, Electronics Engineering/ Electronics and Communication Engineering:

(i) BE/ B Tech/ BS or equivalent degree with first class in Electronics Engineering/ Electronics and Communication Engineering/ Electronics and Telecom. Engineering/ Advance Electronic and Communication Engineering/ Electronics Science and Telemetries Engineering/ Electronics Communication and Instrumentation Engineering/ Electronics Design Technology Electronics System Engineering/ Electronics Technology/ Electronics and Control System/ Electronics Power Engineering/ Telecommunication Engineering, from a recognized university/ Engineering Institution established by law in India.

(ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification::

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate

Mr.

acquires the prescribed educational qualification.

(V) Lecturer, Instrumentation and Control Engineering:

- (i) BE/B.Tech/BS or equivalent degree with first class in Instrumentation and Control Engineering/ Instrumentation and Electronics Engineering/ Instrumentation Engineering/ Instrumentation Technology/ Electrical Instrumentation and Control Engineering Instrumentation and Automation Engineering/ Electrical and Instrumentation Engineering/ Power Electronics Instrumentation Engineering/ Electronics and Engineering, from Control Recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(VI) Lecturer, Information Technology:

(i) BE/ B Tech/ BS or equivalent degree with first class in Information Technology/ Information Technology and Engineering/ Information Science and Engineering/

The

Information Science and Technology/ Information and Communication Technology/ Information Engineering from a recognized University/ Engineering institutions establishment by law in India.

(ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(VII) Lecturer, Computer Science and Engineering/ P.G.D.C.A.

- (i) BE/ B.Tech /BS or equivalent degree with first class in Computer Science and Engineering Computer Engineering/ Computer Science Technology/ and Computer Science and System Engineering/ Computer Technology Computer Engineering and Application/ Computer Science from a recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

(1) Post Graduate Degree in related subject;

Mrs -

- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(VIII) Lecturer, Mechanical (Automobile Engineering).

- (i) BE/ B.Tech/BS or equivalent degree with first class in Mechanical Engineering (Automobile)/ Mechanical Engineering Automobiles/ Automobiles Engineering/ Automobile Maintenance Engineering/ Automotive Technology from a Recognized Engineering Institution University/ established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(IX) Lecturer, Chemical Engineering:

Min

- (i) BE/ B.Tech/ BS or equivalent degree with first division in Chemical Engineering/ Chemical Technology from a Recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(X) Lecturer, Chemical Technology (Rubber and Plastic):

- (i) BE/ B.Tech /BS or equivalent degree with first class in Chemical Engineering (Rubber and Plastic)/ Chemical Engineering (Plastic and Polymer)/ Chemical Technology (Rubber and Plastic)/ Plastic and Polymer Engineering/ Plastic Engineering/ Plastic Technology/ Rubber Technology from a Recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

(1) Post Graduate Degree in related subject;

Dur -

- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(XI) Lecturer, Interior Design and Decoration:

- (i) BE/ B.Tech /BS or equivalent degree with first class in Architecture/ Architecture and Interior Decoration from a recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(XII) Lecturer, Agricultural Engineering:

(i) BE/B.Tech /BS or equivalent degree with first class in Agricultural Engineering / Agricultural Technology from a recognized

Am?

University/ Engineering Institution established by law in India.

(ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(XIII) Lecturer, Mining Engineering:

- (i) BE/B.Tech/BS or equivalent degree with first class in Mining and Survey Engineering/
 Survey Engineering from a recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be

Mrs

done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(XIV) Lecturer, Mine Survey:

- (i) BE/B.Tech/BS or equivalent degree with first class in Mining and Survey Engineering/
 Survey Engineering from a recognized University/ Engineering Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in related subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam passed;
- (3) One year Industrial or Educational experience

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(XV) Lecturer, Geology:

- (i) Post graduate or equivalent degree with first division in Geology/ Geology Technology from a recognized University/ Engineering or Technical Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

Mrs -

- (1) Doctorate in concerned subject;
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering/ NET (National Eligibility Test) exam passed;
- (3) One year industrial or educational experience.

Note: Only experience in Government/ Government aided educational institutions/ public undertaking or limited organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

(XVI) Lecturer, Pharmacy:

- (i) B. Pharma or equivalent with first division from any Recognized University / Pharmacy Institution established by law in India.
- (ii) Knowledge of Hindi;

A

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in concerned subject;
- (2) GPAT (Graduate Pharmacy Aptitude Test) passed.
- (3) One year industrial or educational experience.

Note: Only experience in Government/ Government Aided Educational Institutions/ Public Undertaking or Limited Organizations shall be accepted and its computation shall be done from the date when the candidate acquires the prescribed educational qualification.

Du -

(B) Lecturer (non-engineering):

- (I) Lecturer, Physics
- (i) Master's Degree in Physics Subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level;
- (ii) Knowledge of Hindi and English.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Doctorate in concerned subject;
- (2) National Eligibility Test (NET) passed;
- (3) Computer related knowledge;

Note: Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

(II) Lecturer, Chemistry

- (i) Master's Degree in Chemistry Subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level;
- (ii) Knowledge of Hindi and English;

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Doctorate in concerned subject;
- (2) National Eligibility Test (NET) qualified;
- (3) Computer related knowledge;

Note: Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

Mr.

(III) Lecturer, Mathematics:

- (i) Master's Degree in Mathematics Subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level;
- (ii) Knowledge of Hindi and English.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Doctorate in concerned subject;
- (2) National Eligibility Test (NET) qualified;
- (3) Computer related knowledge;

Note: Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

(IV) Lecturer, English:

- (i) Master's Degree in English Subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level;
- (ii) Knowledge of Hindi;

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Doctorate in concerned subject;
- (2) National Eligibility Test (NET) qualified;
- (3) Computer related knowledge;

Note: Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

Mar .

(V) Lecturer, Language:

- (i) Master's Degree in English Subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level:
- (ii) Knowledge of Hindi;

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Doctorate in concerned subject;
- (2) National Eligibility Test (NET) qualified;
- (3) Computer related knowledge;

Note: Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

(VI) Lecturer, Modern Office Management and Secretarial Practice (MOM&SP):

- (i) B.Com/BA with Mathematics/BSC with first division from any Recognized University established by law in India.
- (ii) Diploma of minimum two years duration with first division in Stenography and Secretarial Practice/ MOM & SP from any Recognized Institution.
- (iii) Three years of Professional or Educational experience in the field of Stenography and Secretarial Practice/ MOM &SP.
- (iv) Knowledge of Hindi and English.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

(1) MSC/ MA (Mathematics)/ M.Com/ MBA from any Recognized University.

In -

(2) Computer related Knowledge.

Note: Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

(C) Workshop Superintendent:

(i) B.E./ B.Tech/ BS with first division or equivalent in Mechanical Engineering / Mechanical and Automation Engineering/ Mechatronics Engineering/ Industrial and Production Engineering/ Mechanical Engineering (Production)/ Production Automation Engineering Engineering/ Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)/ Tool Engineering from any Recognized University/ Engineering Institution established by law in India.

Or

Diploma with first division in Mechanical Engineering/ Mechanical Engineering (Production) from any recognized Engineering Institution and with it total Ten years of Industrial experience or educational experience in Production/ Maintenance.

(ii) Knowledge of Hindi.

Such candidate shall be given preference who posses the following qualification:

- (1) Post Graduate Degree in concerned subject.
- (2) GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) exam qualified.
- (3) Only educational experience of Government/ Government Aided educational institutions shall be accepted and computation

Vin-

shall be made from the day when the candidate has required the prescribed educational qualification.

Amendment of 6. rule 9

In the Principal rules, for the existing rule 9, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

9. A candidate who has-

- (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) Obtained a "B" certificate of National Cadet Corps,

shall be given preference in the matter of direct recruitment.

Column 2 Rules here by substituted

- 9. The preference given after educational qualification under rule 8, shall be taken into account according to their order and in case of preference being equal such candidate shall be given preference in the matter of direct recruitment who has-
- (i) Served n the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) Obtained a "B" or "C" certificate of National Cadet Corps.

Amendment of 7. rule 10

In the Principal rules, for the existing rule 10, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

10. A candidate for direct recruitment to the various posts in service must have attained the age mentioned against each posts in column 7 of the Appendix and must not have attained the age of more than the maximum age shown in the Appendix on July 1st of the year in which recruitment is to be made:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be higher by such number

Column 2 Rules here by substituted

10. A candidate for direct recruitment to the various posts in service must have attained the age of 21 years and must not attained the age of 42 years on the first day of July during which the posts are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to State of Uttarakhand shall be higher by such number of years, as may be notified by the Government:

Provided further that the arrangement made regarding age shall be automatically deemed

Ohr.

of years as may be specified.

changed in accordance with the rules, declared by Government, from time to time:

Provided also that the age for the posts of Principal shall be minimum 35 years and maximum 50 years, as provided earlier.

Amendment of 8. rule 13

In the Principal rules, for the existing rule 13, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

13. No candidate shall be appointed to a post in service unless he be in good mental and bodily health and free from any physically defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate in finally approved for appointment, shall be required to pass an examination by a Medical Board;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Column 2 Rules here by substituted

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance office duties. Before candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce Medical Certificate of fitness accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the financial handbook Volume II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Provided further that in order of section 33, posts identified for this and in categories identified under section of the Right to Person with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016), the disabled shall not be denied to appointment as per rules.

Amendment of 9. rule 15

In the Principal rules, for the existing rule 15, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

Column 2 Rules here by substituted

15. (1) Applications for being 15. The Commission shall invite application in considered for selection by direct prescribed form for appearing in competition

Ohr-

recruitment shall be invited by the Commission in the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.

- (2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, as it considers proper and who fulfill requisite qualifications,
- (3) The Commission shall prepare a list of the candidates in the order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by them in the interview, If two or more candidates obtain equal marks, in the selection to be made through interview;
- (a) The candidate senior in age shall be placed higher in the merit list, and if candidates are of the same age;
- (b) Their names shall be arranged in order of English alphabets in order of seniority.

The number of the names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

examination. The application form may be obtained from the Secretary of Commission by making payment.

- (2) No candidate shall be permitted to appear in the examination unless he/ she hold the admit card, issued by the Commission.
- (3) After the result of the written examination bas been received and tabulated, the commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Casts, Scheduled Tribes, other Backward Classes, Economically Weaker Section and other categories of the State of Uttarakhand under rule 6, shall call such candidates for interview who has obtained marks as standard fixed by the Commission in this respect. The marks obtained by each candidates in interview shall be added to the marks obtained by him/her in the written examination.
- (4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their merit as disclosed by the aggregate of marks obtained in the examination and interview recommend to Appointing Authority such number of candidates as it may consider proper for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidates obtaining more marks in the written examination, shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than twenty five percent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Note: The Syllabus and rules for competitive examination shall be prescribed by Commission, from time to time.

Mr.

Amendment of 10. In the Principal rules, for the existing rule 20, as set out in rule 20 column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule

- 20. (1) A person on appointment to 20. (1) a post in the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstances beyond two year.

- authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- **(5)** The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in

Column 2 Rules here by substituted

- A person on appointment to a post in the Service substantively shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two year.

- (3) If it appears to the appointing (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.
 - (4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under subrule (3) shall not be entitled to any compensation.
 - (5) The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other

a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

- Amendment of 11. In the Principal rules, rule 21 shall be inserted as follows, namely-
 - **21.** Confirmation: A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if;
 - (a) his work and conduct is reported to be satisfactory;
 - (b) his integrity is certified; and
 - (c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
- Amendment of 12. In the Principal rules, rule 22 shall be inserted as follows, namely-
 - **22. Seniority**: The seniority of persons in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 (as amended from time to time).
- Amendment of 13. In the Principal rules, for the existing sub-rule (2) of rule 23, as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1
Existing rule

Column 2
Rules here by substituted

23(2). The scale of pay at the time of 23(2). The pay scale during commencement commencement of these rules are given in of this rules is given in Appendix-A. Appendix.

Amendment Appendix 14. In the Principal rules, the existing Appendix, the following Appendix-A shall be substituted, namely-

By order,

(Om Prakash) Additional Chief Secretary.

Appendix "A"

	Appendix A		
S.N.	Designation (number of posts created)	pay scale	for pos
1	Director (01)	Pay band-4, Matrix level-14	01
2	Additional Director (01)	Pay band-4, Matrix level-13A	-() [
3	Joint Director (02)/ Secretary, Uttarkhand Technical Board, Roorkee (01)/ Controller of Examination Uttarkhand Technical Board, Roorkee(01). Note:- The service of the officers promoted on the posts of Joint Director, Technical Education Directorate/ Secretary/ Controller of Examination, Uttarakhand Technical Education Board shall be mutual transferrable. The posts of Secretary and Controller of Examination are of the same pay band and matrix level but the post of Secretary is of as controller officer, so senior officer shall be deployed on this post.	Pay band-4, Matrix level-13	04
4	Joint Secretary, IRDT, Dehradun* (01)/ Deputy Director, Technical Education Directorate, Srinagar* (03)/ Principal (77)	Pay band-3, Matrix level-12	81
5	Deputy Secretary, Uttarakhand Technical Education Board Roorkee ** (01)/ Deputy Secretary I.R.D.T. Dehradun **(01)/ Head of Department, Engineering (171)/ Pharmacy (13)/ Basic Science and Humanities (non-engineering(73)/ MOM &SP (11)	Pay band-3, Matrix level-11	270
6	Assistant Director, Directorate of Technical Education, Srinagar *** (02)/Assistant Secretary, Uttrarakhand Technical Education Board, Roorkee *** (01)/ Assistant Secretary IRTD, Dehradun *** (01)/Lecturer(Mechanical Engineering)(71)/ Electrical Engineering (89)/ Civil Engineering (132)/ Electronics Engineering/Electronics & Communication Engineering(94)/Instrumentation & Control Engineering(03)/Information Technology(51)/Computer Science & Engineering/PGDCA(82) /Mechanical (Automobile Engineering) (06)/ Chemical Engineering(06)/ Chemical Technology (Rubber & Plastic) (03)/Interior Design & Decoration(03)/Agriculture Engineering(03)/Mining Engineering (00)/ Mine Survey (00)/ Geology (00)/ Pharmacy (61)/ Physics (78)/ Chemistry (78)/ Mathematics (78)/ English (76)/ Language (02)/ Modern Office Management and Secretarial Practice (34)	Pay band-3, Matrix level-10	954
7	Workshop Superintendent	Pay band-3, Matrix level-10	29
		Total	1340

*Posting from Principal cadre.**posting from Head of Department cadre.*** posting from Lecturer Cadre.

(Radha Raturi) Additional Chief Secretary